(ग) वर्ष के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को पुनर्गठित तथा सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एम. तम्बी दुरई): (क) एकधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग में 30 जून, 1988 तक की स्थिति के अनुसार 4168 जांचें/मामले लम्बित थे।

जांचों/मामलों का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-

अनुचित व्यापार प्रथा जांचें	1316
प्रतिबंधित व्यापार प्रथा जांचें	1273
एकाधिकारिक व्यापार प्रथा जांचें	8
क्षतिपूर्ति वाले आवेदन	1571

(ख) एम. आर. टी. पी. आयोग की अदालतें केवल दिल्ली स्थित इसके मुख्यालय में ही लगती हैं। अन्य स्थानों पर इसकी कोई पीठ नहीं है। मामलों पर सुनवाई की निर्धारित तारीखों के अनुसार विचार किया जाता है। एम. आर. टी. पी. अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत मामलों पर नगरवार या राज्यवार विचार नहीं किया जाता है। परिणामस्वरूप इस मुद्दे पर पुनरीक्षण की कोई गुंजाइश नहीं है।

(ग) सरकार ने अध्यक्ष के अतिरिक्त एम. आर. टी. पी. आयोग की स्वीकृत सदस्य संख्या बढ़ाकर तीन से पांच करके तथा सहायक स्टाफ के और अधिक पदों का सृजन करके प्रशासनिक तौर पर इसे मजबूत किया है।

उच्चतम न्यायालय में लंबित मामले

4566. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव**:

श्री नागमणि:

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 20, 15, 10 और 5 वर्षों से लंबित पड़े मामलों की संख्या कितनी है और उनका अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इसका एक कारयण पक्षों द्वारा विलम्बकारी हथकंडे अपनाया जाना भी है;

(ग) यदि हां, तो इससे किस तरह निपटने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इन मामलों में विलंब होने के काहरणों में से एक कारण न्यायालय के कर्मचारियों की मिलीभगत है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी गतिविधियों में कितने कर्मचारी लिप्त पाए गये हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एम. तम्बी दुरई): (क) से (ङ) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Suggestions to Liberalise Inter-Corporate Loans

4567. SHRI K.M. KHAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government has made some suggestions to liberalise intercorporate loans and investment upto 60 per cent of a company's reserves;

(b) if so, details thereof with background;

(c) whether the move will benefit the country in any way;

(d) whether some objectives to be achieved with this move; and

(e) if so, details thereof and if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI): (a) Yes, Sir.

(b) to (e) Clause 254 of the Companies Bill, 1997 introduced in Rajya Sabha in August, 1997 provides that companies should be permitted to invest upto an aggregate limit of 60% of the paid up capital and free reserves, or 100% of the free reserves of the company, whichever is higher, as either inter-corporate investment or loans.

The intention is that the right to make investment either in equity or securities or by making loan up to the above limit should be a matter of corporate decision by the Board of Directors. In case a company wishes to invest in excess of this

limit, prior permission should be obtained by passing a special resolution.

हिन्दू विवाह अधिनियम में कतिपय अपेक्षित सुधार

4568. **श्री गोपाल रिंह जी. सोलंकी**: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हिन्दू विवाह अधिनियम में कतिपय सुधार करने और तलाक के मामलों को शीघतापूर्वक निपटाने के लिए तलाक कानून को बहुत सरल बनाने का विचार रखती है;

(ख) क्या वर्तमान तलाक कानूनों में जटिलताओं के कारण अधिकांश फैसले महिलाओं के पक्ष में किए जाते है और इसके परिणामस्वरूप अनेक मामलों में निर्दोष पुरूषों को अत्यधिक वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या वर्तमान तलाक कानूनों के अन्तर्गत अब उपबन्ध बनाने आवश्यक हो गए हैं ताकि पूरूष वर्ग के लिए समान और सरल अधिकार तथा न्याय सुनिश्चित किया जा सके; ओर

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में कोई विधेयक लाने का विचार रखती है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एम. तम्बी दुरई): (क) हिन्दु विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन, विवाह-विच्छेद से संबंधित उपबंधों को उदार बनाने के क्रम में और वैवाहिक कार्यवाहियों को शीघ्र निपटाने के लिए भारंत के विधि आयोग की 59वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों के आधार पर इन अधिनियमों में, विवाह विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा व्यापक संशोधन किए गए थे। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन विवाहों की अकृतता की डिक्री घोषित करने के लिए मिरगी के आधार को हटाने के प्रयोजन के लिए तारीख 13,8,97 को राज्य सभा में हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, 1977 पुर:स्थापित किया गया था, जो लंबित है। उपरोक्त के अलावा, 1954 और 1955 के पूर्वोक्त अधिनियमों में कोई और परिवर्तन सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ)जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Misuse of funds meant for voter cards in West Bengal

4569. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "voter card lapses cost West Bengal Rs. 2.14 crores" appearing in the Indian Express, dated 2nd July, 1998;

(b) if so, according to CAC report whether payment was made for defective voter cards to agencies inchargc of preparation of voter cards;

(c) whether funds meant for voter cards were used for purchases of other euqipments in West Bengal;

(d) if so, what steps have been taken/ proposed to be taken to rectify such irregularities; and

(e) whether instructions have been issued to state Government for preparation of voter cards; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI M. THAMBI DURAI) (a) Yes Sir, Government are aware of the said news item.

(b) to (d) The information has been called for from the Government of West Bengal and will be laid on the Table of the House on its receipt.

(e) The Election Commission of India has been, from time to time, issuing instructions spelling out modalities as regards the functional and financial aspects regarding preparation of Voter Cards.